

प्रकरण संख्या :-37 / 2024

प्रकरण दायर दिनांक:- 15.03.2024


प्रकरण निर्णय दिनांक:- 08.04.2024

राजस्व ग्राम झील की ढाणी स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत

तहसीलदार बाँदीकुई के पत्र क्रमांक: राजस्व/2024/229 दिनांक: 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम झील की ढाणी स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 52, 53, 55, 61, 62 एवं 84 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक बाँदीकुई एवं पटवारी हल्का नन्देरा रिपोर्ट दिनांक: 11.03.2024, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2074-77 ग्राम झील की ढाणी खाता सं. नया 61 पुराना 58, नया 13 पुराना 20, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जयें नोटिस विधिवत की गई। खातेदार बहादुर सिंह स्वयं उपस्थित आया। प्रस्तावित रास्ते बाबत सहमति प्रकट की। शेष अप्रार्थीगण/खातेदारान बावजूद जयें नोटिस तामील उपस्थित नहीं। शेष खातेदारान के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार एवं उपस्थित खातेदार को सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं भू.अ. निरीक्षक बाँदीकुई एवं पटवारी हल्का नन्देरा रिपोर्ट दिनांक: 11.03.2024, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न भू. अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से मौके पर रास्ता चालू है, मौके पर सी.सी. सड़क बनी हुई है। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न भू. अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम झील की ढाणी स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 61 पुराना 58 के खसरा नं. 52 रकबा 0.18 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 53 रकबा 0.12 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., एवं खसरा नं. 55 रकबा 0.41 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. भूमि एवं खाता सं. नया 13 पुराना 20 के खसरा नं. 84 रकबा 0.10 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., खसरा नं. 61 रकबा 0.10 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. एवं खसरा नं. 62 रकबा 0.24 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित प्रस्तावित रास्ते के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खातों में


उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

724
74

भावत रहेगी। तहसीलदार बॉदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten Signature)
(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

(Official Stamp)
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

FORM No. III

APP
CrII

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

किस्म मुकदमा सरकार बनाम कहादुर सिंह
 नं० 37/2024 तन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------

15/04

तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मोठे पर-याबू रास्तों को शालब रिपोर्ट में अंकन करने हेतु पुस्तक पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थित। खातेदारान जयें नोटिस की जाकर दिनांक 08/01/24 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई

कहादुर सिंह
 पाले से
 सहाय 21

15/04

फलावली पेश हुई। प्रार्थी सरकार सरकार इपय (स्वामिगिण/खातेदारान तलबी नोटिस) को तलबी उपर। खातेदार कहादुर सिंह खाने इपार्थित। शास्त्र काफ्त सहमत उकर की। प्रेष खातेदारान इपार्थित नहीं। प्रेष खातेदारान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है उस्तुत उस्ताव पर प्रार्थी। प्रार्थी सरकार एवं इपार्थित खातेदार को खान। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उस्तुत उस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों का इपलोकन किया। तुराविक निका रिपोर्ट नोटिस पर शान्त्या चालू है। निका पर सीसी। अडक वनी हुई है। नोट: तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उस्तुत उस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों के इपलोकन के आधार पर उस्तुत शान्त को शालब रिपोर्ट में दर्ज किए जाने के (नोटिस) दिले जाते हैं। उस्तुत शान्त की खातेदारान इपार्थित के सम्भावत रहेगी। विस्तृत निरीक्षण प्रकृत से लिया जाकर शान्तिल फलावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहसीर

महीना
दिनांक

दिनांक या कार्यवाही मय इतिभित्तिवत्स जना

कमी होण्याबाबत कृपया कृपया
कार्यवाही करून देण्यात येईल.

उपखण्ड अधिकारी
बांदीवट्टे

श्री. कृष्ण
श्री. कृष्ण

Handwritten notes in Marathi, including the word 'आपला' (Your) and other illegible text.